# BHADOHI POLICE

## प्रेस विज्ञप्ति

**सराहनीय कार्य, जनपद भदोही** **दिनांक-01.03.2025**

**◆जनपद के रास्ते अवैध शराब तस्करी पर भदोही पुलिस की बड़ी कार्यवाही**

**◆राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकिंग के दौरान थाना गोपीगंज व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम को मिली महत्वपूर्ण सफलता**

**◆व्यापक पैमाने पर अवैध शराब तस्करी में लिप्त गिरोह के सरगना सहित कुल-05 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे**

**◆कब्जे से दो लग्जरी चार पहिया वाहनों में कुल-364 नग, 240 लीटर (295 बोतल, 37 हाफ व 32 पौवा) अवैध अंग्रेजी शराब रॉयल स्टैग व ACE हरियाणा व चंडीगढ़ मार्का अनुमानित कीमत ₹3,00,000/-(03 लाख रुपए) व 04 अदद फर्जी वाहन नंबर प्लेट बरामद**

**◆अवैध शराब तस्करी में प्रयुक्त लग्जरी चार पहिया वाहन अर्टिका व बैलेनो कार बरामद**

**◆बरामदशुदा वाहनों सहित अवैध शराब की कुल अनुमानित कीमत करीब 24 लाख रुपये**

**◆हरियाणा व चंडीगढ़ से सस्ते दामों पर खरीद कर बिहार राज्य में महंगे दामों पर खपाने की थी योजना**

**◆वाहनों पर अलग-अलग प्रांतों के फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पुलिस को देते थे चकमा**

**◆पुलिस टीमों की सतर्कता व सूझबूझ से शराब तस्करों का मिशन हुआ फेल**

**◆शराब तस्करों के अन्य आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता की जांच व आपराधिक इतिहास की, की जा रही जानकारी**

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन वाराणसी व श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर द्वारा अवैध शराब व अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद के रास्ते अवैध शराब/मादक पदार्थ तस्करी के विरूद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। दिनांक-28/01.03.2025 की रात्रि में थाना गोपीगंज व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर झिरिया पुल के पास संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की चेकिंग के दौरान व्यापक पैमाने पर अवैध शराब तस्करी में लिप्त गिरोह के सरगना सहित कुल-05 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारशुदा शराब तस्करों के कब्जे से **दो लग्जरी चार पहिया वाहनों अर्टिका व बैलेनो कार में कुल-364 नग, 240 लीटर (295 बोतल, 37 हाफ व 32 पौवा) अवैध अंग्रेजी शराब रॉयल स्टैग व ACE हरियाणा व चंडीगढ़ मार्का अनुमानित कीमत ₹3,00,000/-(03 लाख रुपए) व 04 अदद फर्जी वाहन नंबर प्लेट बरामद** किया गया है। बरामदशुदा दो लग्जरी चार पहिया वाहनों सहित अवैध शराब की कुल अनुमानित कीमत करीब 24 लाख रुपये है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अंतर्राज्यीय शराब तस्करों के

विरुद्ध थाना स्थानीय पर अंतर्गत धारा- 60/72 आबकारी अधिनियम व 319(2), 316(4),336(3) बी.एन.एस. का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

बरामदशुदा शराब को तस्करों द्वारा हरियाणा व चंडीगढ़ से सस्ते दामों पर खरीद कर बिहार राज्य में महंगे दाम पर खपाने की योजना थी। शराब तस्करी में प्रयुक्त वाहनों पर आवश्यकतानुसार अलग-अलग प्रांतों के फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पुलिस को चकमा देते थे।

गिरफ्तारशुदा अंतर्राज्यीय शराब तस्करों के अन्य आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता की जांच व आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**पूछताछ में खुले राज-**

पूछताछ करने पर गिरफ्तारशुदा शराब तस्करों ने बताया कि हम लोगों का अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ व ज्यादा पैसा कमाने के लिए हरियाणा व चंडीगढ़ से अंग्रेजी शराब को बिहार राज्य में महंगे दामों पर बेचने का सक्रिय गिरोह है। शराब बिक्री के पश्चात जो पैसा कमाते है उसे आपस में बांट लेते है। हम लोग शराब तस्करी में प्रयुक्त वाहनों पर आवश्यकतानुसार अलग-अलग प्रांतों के फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पुलिस को चकमा देते थे।

**गिरफ्तारशुदा अंतर्राज्यीय शराब तस्करों का नाम व पता**

1.आशीष मलिक पुत्र रणबीर मलिक निवासी डवोदा थाना सदर तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा उम्र करीब 26 वर्ष (गैंग लीडर)

2.रवि पुत्र मुकेश निवासी कनौन्दा थाना सदर तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा उम्र करीब 28 वर्ष

3.हिमांशु पुत्र संजीव निवासी बहादुरगंज थाना लाइन बाजार जिला झज्जर हरियाणा उम्र करीब 22 वर्ष

4.मोहित पुत्र सतपाल निवासी कुतुबगढ़ थाना बवाना जिला नॉर्थ वेस्ट नई दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष

5.राहुल पुत्र ईश्वर सिंह निवासी बहादुरगंज कुबेर एनक्लेव थाना सेक्टर 2 जिला झज्जर हरियाणा उम्र करीब 25 वर्ष

**गिरफ्तारी का स्थान**– राष्ट्रीय राजमार्ग झिरिया पुल के पास थाना गोपीगंज

**यह हुई बरामदगी**

दो लग्जरी चार पहिया वाहनों अर्टिका व बैलेनो कार में *कुल-364 नग, 240 लीटर (295 बोतल, 37 हाफ व 32 पौवा) अवैध अंग्रेजी शराब रॉयल स्टैग व ACE हरियाणा व चंडीगढ़ मार्का अनुमानित कीमत ₹3,00,000/-(03 लाख रुपए) व 04 अदद फर्जी वाहन नंबर प्लेट

बरामदशुदा दोनों लग्जरी चार पहिया वाहनों सहित अवैध शराब की कुल कीमत लगभग 24 लाख रुपये

**गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम**

1.श्री श्याम बिहारी, प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज, उपनिरीक्षक दिनेश कुमार, मुख्य आरक्षी गुफरान अहमद, मुख्य आरक्षी चालक रामविलास यादव, मुख्य आरक्षी मिथिलेश सिंह व मुख्य आरक्षी गोविंद कुमार यादव थाना गोपीगंज जनपद भदोही

2.निरीक्षक श्री श्याम बहादुर यादव प्रभारी स्वाट टीम,हे0का0 धीरेन्द्र श्रीवास्तव एस0ओ0जी0,हे0का0 हरिकेश यादव एस0ओ0जी0,का0 गोपाल खरवार सर्विलांस सेल

**पुलिस टीम को मिलेगा 10 हजार रुपये ईनाम**

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को ₹10,000/- नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है।